कार्यवृत्त
शुक्रवार, 19 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1943
(दिनांक : 10 दिसम्बर, 2021)

खण्ड–61
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

काजी मौ0 निजामुद्दीन के अल्प सूचित प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर विपक्ष द्वारा सदन से बर्हिगमन किया गया।

(11 बजकर, 44 मिनट पर विपक्ष द्वारा बर्हिगमन)

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज भारत माता मन्दिर स्कूल ऋषिकेश के 32 एन0सी0सी0 के बच्चे एवं 04 शिक्षक सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि सम्मानित सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज भी कार्यसूची में सम्मिलित सभी तारांकित प्रश्न उत्तरित हुए हैं। संभवतः यह इस चतुर्थ विधान सभा का अन्तिम प्रश्नकाल था। कुल 68 में से 27 उपवेशनों में कार्यसूची में अंकित सभी तारांकित प्रश्नों का उत्तरित होना एक रिकार्ड है और मुझे लगता है कि उत्तराखण्ड विधान सभा के इस रिकार्ड को तोड़ना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण होगा, परन्तु जब भी यह टूटेगा, मैं सबसे खुश होऊंगा क्योंकि यह इस बात का द्योतक होगा कि उत्तराखण्ड की इस विधान सभा द्वारा बनाई गई नजीर अन्य विधायिकाओं तक भी पहुंची और संसदीय लोकतंत्र मजबूत हुआ। यह उपलब्धि आप सब के सहयोग के बिना सम्भव नहीं थी। मैं सदन के सभी मा0 सदस्यों, विपक्ष सत्तापक्ष दोनों को इसके लिए साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में यह स्वस्थ परम्परा कायम रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	श्री देशराज कर्णवाल, ''चमार साहब''	इकबालपुर शुगर मिल से किसानों के करोड़ों रूपये की बकाया धनराशि का भुगतान तत्काल किये जाने तथा मिल मालिक/प्रबन्धक को गिरफ्तार करने तथा चल–अचल सम्पत्ति कुर्क करते हुए नीलाम कर किसानों का भुगतान दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''	जनपद हरिद्वार में प्रोटोकॉल के निर्वहन हेतु अलग से पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला अधिकारी के पद सृजित कर इनको समस्त धार्मिक मेले, कुम्भ आदि–इत्यादि के नियोजन का कार्य सौंपे जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री खजान दास	राजपुर रोड विधान सभा, देहरादून के अन्तर्गत वार्ड सं0 29 एवं 30 डालनवाला में पंजीकृत श्रमिक आश्रित महिलाओं के द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान, देहरादून (NIESBUD) द्वारा 02 माह के कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान दिये जाने वाले मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में।
4.	श्री आदेश सिंह चौहान	विधान सभा क्षेत्र जसपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका जसपुर में फेज–2 पेयजल योजना के सम्बन्ध में।

5.	श्री हरीश सिंह	सेवा से हटाये गये अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा में बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।
6.	श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल	आँचल पशु आहार निर्माणशाला, रूद्रपुर को जे0बी0 मोड़ में दिये जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में।
7.	श्रीमती ममता राकेश	आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाईयां लिखे जाने की अनुमति प्रदान किये जाने एवं एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की भांति ही आयुष चिकित्सकों को भी समान इंटर्न भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
8.	श्री फुरकान अहमद	विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाये जाने के सम्बन्ध में।
9.	श्री करन माहरा	स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारियों की नियमावली बनाये जाने एवं पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
10.	श्री राजकुमार ठुकराल	उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों को मालिकाना हक, पट्टा दिये जाने हेतु उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबन्धन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किये जाने के सन्दर्भ में।
11.	श्री महेश जीना	वर्षों से स्वीकृत तामाढ़ौन–गोलना मोटर मार्ग का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
12.	श्री हरबन्स कपूर	देहरादून कैंट विधान सभा क्षेत्र के बीचों–बीच बहने वाली बिंदाल नदी में वर्षों–वर्षों से सफाई न होने के कारण उससे आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में।
13.	श्री दीवान सिंह बिष्ट	रामनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बन्द पड़ी सिंचाई नहरों से सिंचाई नहीं होने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
14.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	धारा–27 के अन्तर्गत दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत देहरादून जनपद में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में।
15.	श्री राम सिंह कैड़ा	भीमताल विधान सभा के अन्तर्गत अक्टूबर, 2021 में आई आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा प्रत्येक ग्रामीणों को देने के सन्दर्भ में सूचना।
16.	श्री चन्दन राम दास	एन0आर0एच0एम0 के डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ व कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के सम्बन्ध में।
17.	श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के जोशीमठ–मलारी मोटर मार्ग के विस्तारीकरण/चौड़ीकरण के बाद प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा न मिलने से व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
18.	श्री प्रदीप बत्रा	सिविल लाईन रुड़की की भूमि को नजूल मुक्त होने सम्बन्धित भ्रम की स्थिति को दूर कर इसके सम्बन्ध में शासनादेश जारी करने विषयक।
19.	डॉ0 प्रेम सिंह राणा	नानकसागर बांध सीमाओं से जुड़े ग्रामों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के लाभ हेतु चौहद्दी निर्माण की स्वीकृति प्राप्त न होने पर जनता में व्याप्त असंतोष।

20.	श्रीमती मुन्नी देवी शाह	जनपद चमोली के क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा नहीं होने से उत्पन्न असंतोष की सूचना।
21.	श्री उमेश शर्मा काऊ	पूर्व से चली आ रही उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक सेवा नियमावली 2018 की व्यवस्था को पुनः बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 पंचायतीराज मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 सदन के पटल पर रखा।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के अध्याय–**IX** के अन्तर्गत धारा–78 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19 सदन के पटल पर रखा।

12 बजकर 03 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि:–

उत्तराखण्ड विनियोग (2021–22 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का अठ्ठारहवां अधिनियम बन गया।

आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का बीसवां अधिनियम बन गया।

हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का तेईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान(संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 नवम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

श्री महेश जीना, सदस्य, विधानसभा द्वारा ''जनपद अल्मोड़ा के राजकीय इण्टर कालेज गुमटी अल्मोड़ा के मुख्य भवन ध्वस्तीकरण के पश्चात् नये भवन की वित्तीय स्वीकृति दिलाये जाने के सम्बन्ध में''श्री प्रताप सिंह मियां, अध्यक्ष, अभिवावक संघ रा0इ0का0 गुमटीग्राम कमान पो0 मटेला, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधानसभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम खुब्बनपुर में रा0जू0हाईस्कूल उच्चीकरण के सम्बन्ध में'' श्री अरविन्द पुत्र श्री रमेशचन्द्र ग्राम खुब्बनपुर पो0 खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम भगवानपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड के सम्बन्ध में'' श्री संजीव सैनी पुत्र श्री सीताराम ग्राम व पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के ग्राम बोहराकोट, तोक खोपा, पट्टी रामगढ़ में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पहाड़ का भू–सर्वेक्षण के आधार पर ट्रीटमेन्ट करवाने के सम्बन्ध में'' श्री पृथ्वी राज सिंह दरम्वाल पुत्र स्व0 श्री विपिन सिंह दरम्वाल, ग्राम बोराकोट तोक खोपा, पट्टी रामगढ़ तहसील व जिला नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बवाड़ीकिचार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में'' श्री ललित मोहन बवाड़ी पुत्र श्री पूरनचन्द्र, ग्राम व पो0 बवाड़ीकिचार, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन द्वारा सचिव, विधान सभा को दिये गये विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिस पर मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा द्वारा प्रकरण पर हुई कार्यवाही से अवगत कराने के लिए मा0 संसदीय कार्यमंत्री को निर्देशित किया गया।

मा0 सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन द्वारा मौखिक रूप से व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि 02 निर्दलीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री राम सिंह कैड़ा द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गयी है। उत्तराखण्ड विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 2005 के संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 भारत का संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम की दसवीं अनूसूची [अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2)] दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबन्ध (2) का (2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना लिखित रूप में देने को कहा गया।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोकसेवा (अधिकरण)} (संशोधन), विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोकसेवा (अधिकरण)} (संशोधन), विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन), विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन), विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित, विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

मा0 कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित, विधेयक, 2021 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 धर्मस्व एवं तीर्थाटन मंत्री ने उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 धर्मस्व एवं तीर्थाटन मंत्री ने उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

मा0 पंचायतीराज मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 पंचायतीराज मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

मा0 उच्चशिक्षा मंत्री ने आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ने आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री मनोज रावत एवं श्री आदेश सिंह चौहान, फुरकान अहमद, काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं श्रीमती ममता राकेश, श्री करन माहरा तथा श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल को सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

12 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

प्रदेश में राशन कार्ड बनाने में हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन, फुरकान अहमद एवं श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 28 मिनट पर भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

(समय : अपराह्न 03:00 बजे)।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021–2022 की अनुपूरक अनुदान की मांगे प्रस्तुत की।

प्रदेश में विभिन्न संगठनों/विभागों द्वारा की जा रही हड़ताल/धरना प्रदर्शन के सम्बन्ध में नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

नन्दा गौरा योजना के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री मनोज रावत एवं श्री आदेश सिंह चाहौन ने विचार व्यक्त किये। मा0 महिला एवं बाल विकास मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

राजकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री करन माहरा एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये। मा0 कृषि मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पेंशनरों हेतु चलाई जा रही गोल्डन कार्ड योजना के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना की ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन माहरा, श्री मनोज रावत, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री हरीश सिंह, तथा श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 53 के अन्तर्गत 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से मा0 सदस्य श्री खजान दास की सूचना जो कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों पर किये जाने वाले सुधारीकरण कार्य के दौरान सड़क के मध्य में पड़ने वाले मेन होल चैम्बरों को उठाये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य डा0 प्रेम सिंह राणा की सूचना जो कि नानकमत्ता विधान सभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़क विडौरा छमीपाथशाही गुरूद्वारा से सुनखरी कला तक के नवनिर्माण न होने से जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 05 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुकेश सिंघल,
सचिव (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेम चन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।